In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur

RAKESH KUMAR-V

त्रिवेणी सिंह बनाम मुखराम यादव वगैरह

T.S–366/2007

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
06.08.2025	वादी की ओर से दिनांक–21.10.2024 को शपथ पत्र के साथ समर्थित एक आवेदन आदेश–22 नियम–2 एवं 4 वो धारा–151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल किया गया। उक्त आवेदन में यह तथ्य वर्णित है कि प्रतिवादी संख्या–1 मुखराम यादव की मृत्यु दिनांक–15.09.2024 को हो गई है, जिनका नाम विलोपित कर इनके स्थान पर इनके स्थान पर इनके विधिक वारिसान–नन्हकी कुंवर, मु0 कमरियां कुंवर, श्री गोपाल यादव, सत्यनारायण यादव, धर्मेन्द्र यादव, सुनील यादव एवं अनिल यादव को प्रतिस्थापित करने हेतु अनुरोध किया गया है। मुदालह नं0–3 वो मुदालय फरीक दोयम की ओर से दिनांक–12.02.2025 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है, जिसमें यह तथ्य वर्णित है कि मुदई का सवाल मेंटनेबुल नहीं है, वहर सुरत फाल्स, प्रीमिलस फोकस वो मालाफाइडी है, जो काबिल खारिज है। वादी द्वारा दी गई मृत्यु की तिथि गलत है। मुखराम यादव की जौजे नन्हकी कुंवर नहीं है वो नाही उनकी पुत्री कमरिया कुवर है। अतः निवेदन किया गया है कि मुदई के सवाल को भारी खर्च के साथ खारिज किया जाए। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–1 मुखराम यादव का नाम अभिलेख पर दर्ज है, जिनकी मृत्यु दिनांक–15.09.2024 को हो चुकी है। वादी का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक–21.10.2024 को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या–1 मुखराम यादव का नाम अभिलेख से कलमजद कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान–नन्हकी कुंवर, मु0 कमरियां कुंवर, श्री गोपाल यादव, सत्यनारायण यादव, धर्मेन्द्र यादव, सुनील यादव एवं अनिल यादव को प्रतिस्थापित करें। वास्ते दिनांक–27.08.2025 प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु। लेखापित अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर, भोजपुर	